समाहरणालय गोपालगंज

(जिला स्थापना शाखा)

विज्ञापन संख्या–01 / 2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2025 एवं पत्रांक–18120 दिनांक– 26.09.2023 के आलोक में समाहरणालय गोपालगंज अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों से सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएँ संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में निबंधिक डाक से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है :–

क्रमांक	पदनाम	आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या	
1	निम्नवर्गीय लिपिक	1. अनारक्षित–	31
		2. अनुसूचित जाति–	12
		3. अनुसूचित जन जाति–	01
		4. अत्यंत पिछड़ा वर्ग–	14
		5. पिछड़ा वर्ग–	01
		6. पिछड़े वर्गों की महिलायें–	03
		7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–	07

आवेदन पत्र संलग्न विहित्त प्रपत्र में **दिनांक 12.08.2026 से 19.08.2026 तक** जिला स्थापना शाखा, समाहरणालय, गोपालगंज में कार्यालय अवधि में निंबंधित डाक से प्राप्त किया जायेगा।. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन करने का पता :– **स्थापना उप समाहर्त्ता, जिला स्थापना शाखा, समाहरणालय गोपालगंज।**

सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएँ संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु उम्मीदवार की पात्रता एवं शर्त्तें :–

1. उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित श्रेणी के सेवानिवत्त कर्मियों की सेवाएँ नहीं ली जा सकेगी –
   (i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।
   (ii) जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही हो।
   (iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
   (iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।
2. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला चयन समिति द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में जिला चयन समिति द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सेवकों का संविदा विस्तार प्रमंडलीय आयुक्त की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष की उम्र तक किया जा सकेगा।
3. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त सेवकों का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मँहगाई राहत

की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर मँहगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में 28 02. व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–लेवल का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य मँहगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परंतु इस कारण से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य मँहगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+ मँहगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जा सकेगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।
7. संविदा पर नियोजित सवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी।
8. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवको की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।
9. समाहरणालय गोपालगंज में निम्नवर्गीय लिपिकों की नियमित नियुक्ति हो जाने पर नियोजित कर्मियों की सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
10. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. Counselling के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा, न ही तथ्यों में संशोधन के किसी दावे पर विचार किया जायेगा और न ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों के इतर कोई अन्य दस्तावेज मान्य/स्वीकार होगा।
12. रिक्त पद से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सरकारी सेवा में अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी, साथ ही अनुभव समान होने की स्थिति में कम उम्र के आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. नियोजन हेतु Counselling दिनांक 24.08.2026 एवं 25.08.2026 को निर्धारित है। Counselling के उपरांत नियोजन पत्र का वितरण किया जाएगा।
14. उपर्युक्त रिक्त पद के विरूद्ध निर्धारित तिथि तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो Counselling की तिथि के बाद उपरोक्त रिक्त पदों पर ''पहले आओ एवं पहले पाओ'' के आधार पर Walk in Iterview के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर किया जायेगा।
15. आवेदन का विहित प्रपत्र जिला के वेबसाईट www.gopalganj.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक–751 / स्था0 दिनांक–10 / 08 / 2026

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को विज्ञापन की सूचना की प्रति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि विज्ञापन की सूचना जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करें।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

फोटोग्राफ

समाहरणालय गोपालगंज
(जिला स्थापना शाखा)

सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

क्रमांक	सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन हेतु वांछित सूचना/विवरणी	विवरण
1	आवेदक का नाम	
2	पदनाम (सेवानिवृत्ति के समय)	
3	कार्यालय का नाम, जहाँ से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुए हैं।	
4	जन्म तिथि	
5	सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि	
6	सेवानिवृत्ति की तिथि	
7	सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें)	
8	कोई निगरानी का मामला चल रहा है या नहीं ?	
9	कोई विभागीय कार्यवाही संचालित है या नहीं ?	
10	कोई गंभीर आरोप विचाराधीन है या नहीं ?	
11	कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं ?	
12	सेवाकाल के अंतिम 10 वर्षों में कोई वृहद दण्ड अथवा अंतिम 05 वर्षों में कोई दण्ड (लघु/वृहद) अथवा बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधानों के अधीन पेंशन में कटौति का कोई दण्ड अधिरोपित है तो अंकित करें।	
13	सेवापुस्त की छाया प्रति (प्रति संलग्न करें)	
14	पेंशन/उपादान प्राधिकार पत्र संख्या (प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न करें)	

आवेदक का हस्ताक्षर